



केन्द्रीयविद्यालयसंगठन (मु.)/
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18संस्थागतक्षेत्र18/Institutional Area,
शहीद जीत सिंह मार्ग/Shahed Jeet Singh Marg,
नईदिल्ली/110016 – New Delhi -110016
दूरभाष/Telephone No.: 011-26858570, इंटरकॉम नं268
Email- budget.section@kvs.gov.in

एफ.110239/51/2024/बजट/केवीएस(मु.) / 702

दिनांक:- 15.01.2026

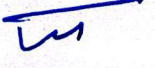
विषय: भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन /Office Memorandum issued by Govt. of India.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय एवं पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा निम्नवर्णित कार्यालय ज्ञापन/आदेश आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रसारित किये जाते हैं।

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या No. G.I., M.F., O.M.No. 7(1)/EV/2023, दिनांक 12-11-2025 – Central Government Employees' Group Insurance Scheme-1980- Tables of Benefits for the savings fund for the period from 01-10-2025 to 31-12-2025.
2. भारत सरकार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या No.1/1(33)/2024-P&PW (E)/9629, दिनांक 27-10-2025 – Settlement of Family Pension between two wives of a Government servant or Pensioner under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.
3. भारत सरकार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/10(03)/2025-P&PW (A) (e-11193)(i), दिनांक 30-10-2025 – Pension/Service Gratuity under Rule 44 of the Central Civil Services (Pension) Rules 2021 in case of Compulsory Retirement.
4. भारत सरकार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या No.38/10(03)/2025-P&PW (A) (e-11193) (iv) दिनांक 30-10-2025 – Central Civil Services (Pension) Rules, 2021- Employment after retirement under a Government outside India.
5. भारत सरकार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या No.38/10(03)/2025-P&PW (A)(e-11193) (iii) दिनांक 30-10-2025 – Claims to pension or family pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.
6. भारत सरकार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या No.38/10(03)/2025-P&PW(A)(e-11193) (ii) दिनांक 30-10-2025 – Provisions under Rule 44 of the Central Civil Services (Pension) Rules 2021- Compassionate Allowance.
7. भारत सरकार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या No.38/10(03)/2025-P&PW (A)(e-11193) (vi) दिनांक 30-10-2025 – Revision of pension after authorization under Central Civil Services(Pension) Rules 2021.
8. भारत सरकार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/10(03)/2025-P&PW (A)(e-11193) (v), दिनांक 30-10-2025 – Conditions for grant of additional pension/ family pension to the retired Central Government Civil Employees/ Family pensioners covered under Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

9. भारत सरकार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या No.11/1/2025-P&PW (H)-VIII, दिनांक 31-10-2025 – Clarification on deletion of name of daughter from the family details of a Central Government pensioner.

10. भारत सरकार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या No. 11/1/2025-P&PW(H)-VI, दिनांक 31-10-2025- Submission of Annual Life Certificate in respect of pensioners/family pensioners living abroad.


(संजय कुमार)
उपायुक्त(वित्त)

वितरण :

1. उपायुक्त, के० वी० एस०, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
2. वित्त अधिकारी, के० वी० एस०, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी अधिकारी / अनुभाग, के० वी० एस० (मु०) ।
4. प्राचार्य , के० वी० काठमांडू , मास्को एवं तेहरान ।
5. महासचिव , सभी मान्य संघ ।
6. निदेशक, जीट ग्वालियर , मुंबई , मैसूर , चंडीगढ़ एवं भुवनेश्वर।
7. उपायुक्त,(आई.टी), के वी एस (मु०) को के वी एस (मु०) की वैबसाइट के शीर्ष "सूचना पट(Announcements)" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
8. आर टी आई, के वी एस (मु०)।
9. गार्ड फ़ाइल